दाण्डिक प्रकरण क्रमांक – ८४४/२०२२

Witness.No **१२** For **अभियोजन साक्ष्य** Deposition taken the **दिनांक २४/०८/२०२४** day of Witness's apparent age ४७ **वर्ष** States on affirmation my name is **सहसराम चतुर्वेदी** son of **श्री बुगुल चतुर्वेदी** occupation **मजदूरी** address **वार्ड क्रमांक ०४,ग्राम तिल्दा, थाना तिल्दा नेवरा, जिला रायपुर छ०ग०।**

समयः– १२:४० बजे

–:मुख्य परीक्षण द्वारा श्री राजेश कुमार पाण्डेय, ए०डी०पी०ओ० वास्ते अभियोजनः–

०१– मैं आरोपी नारायण निषाद को जानता पहचानता हूँ, वह ट्रक ड्रायवर है। मृतक खिलेश्वरी एवं आहत गीतांजली को नही जानता पहचानता हूँ तथा योगिता रात्रे मुक्तावंद की बेटी होने से जानता पहचानता हूँ।

०२– घटना ०१ वर्ष पूर्व की शाम के ०६ से ०७ बजे की है। मैं हमाली का काम कर के घर आया था। घटना मेरे घर के सामने हुई थी, वहां पर काफी भीड़ लगा था। वहां उपस्थित लोगो से पता चला कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसका एक्सीडेंट हुआ उसकी जानकारी मुझे दूसरी दिन हुई थी कि मोहल्ले के बच्चे ही है। मेरे आने से पहले बच्चो केा ईलाज के लिए हॉस्पिटल ले गए थे। एक्सीडेंट ट्रक से हुआ था। लेकिन एक्सीडेंट कैसे हुआ था मुझे इसकी जानकारी नही है। मुझे इसके अतिरिक्त अन्य कोई जानकारी नही है। आज मुझे याद नही है कि पुलिस वाले मेरे समक्ष कार्यवाही किये थे कि नही, नुकसानी पंचनामा **प्र०पी०–१९** है, जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है, उक्त दस्तावेजो पर हस्ताक्षर मैने थाने में किया था।

नोटः– इसी स्तर पर अभियोजन अधिकारी ने सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति चाही। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर अभियोजन के दस्तावेजो में तथा साक्षी के न्यायालयीन कथन में विसंगतियाँ पाई गई। अतः साक्ष्य अधिनियम की धारा १५४ के तहत अभियोजन को अनुमति प्रदान की गई।

०३– यह कहना गलत है कि जब मैं शाम के ०६.३० बजे काम से वापस आते समय अंबेडकर चौक के पास पहुंचा था तभी देखा कि भैरमगढ़ धाम की तरफ से दशरथ डहरिया की भतीजी खिलेश्वरी, गीतांजली एवं योगिता रात्रे तीनो बैठकर घर की तरफ जा रहे थे और सायकल को गीतांजली चला रही थी। आज मुझे याद नही है कि मैने पुलिस को बयान देते समय बताया था कि उसी समय सौरभ पेट्रोल पंप तिल्दा की तरफ से आ रहे ट्रक का नंबर सी०जी० ०४/जे/६३८३ के द्वारा वाहन को तेजगति एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर वाहन को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया था, जिससे उनको चोट आई थी। आज मुझे याद नही है कि मैने घटना की जानकारी दशरथ डहरिया के घर जाकर दिया था। साक्षी को उसका पुलिस बयान **प्र०पी०–२०** के अ से अ भाग का संपूर्ण कथन दिखाए जाने पर ऐसा बयान देने से इंकार किया। आज मुझे याद नही है कि ट्रक के द्वारा सायकल को ठोकर मारकर क्षतिग्रस्त करने का नुकसानी पंचनामा पुलिस वाले मेरे समक्ष बनाए थे। यह कहना गलत है कि घटना को मैने देखा था इसलिए पुलिस को मैने घटना के बारे में बताया था। यह कहना गलत है कि आरोपी को बचाने के लिए आज न्यायालय में सही बात नही बता रहा हूँ।

<u>–:प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री राम वाधवा, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तः–</u>

०४– यह कहना सही है कि एक्सीडेंट मेरे समक्ष नही हुआ था।

समयः– ०१:०० बजे

वाचित/स्वीकृत। **मेरे निर्देश पर टंकित किया गया**

सही/– गवाह के हस्ताक्षर एवं अंगूठा। सही/–

(**भावेश कुमार वट्टी**) (**भावेश कुमार वट्टी**)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

तिल्दा, जिला रायपुर (छ०ग०) तिल्दा, जिला रायपुर (छ०ग०)

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक – ८४४/२०२२

Witness.No **११** For **अभियोजन साक्ष्य** Deposition taken the **दिनांक २४/०८/२०२४** day of Witness's apparent age २२ **वर्ष** States on affirmation my name is **राजेन्द्र डहरिया** son of **श्री रूपचंद्र डहरिया** occupation **प्रायवेट जॉब** address **वार्ड क्रमांक ०४,ग्राम तिल्दा, थाना तिल्दा नेवरा, जिला रायपुर छ०ग०।**

समयः– १२:२० बजे

–:मुख्य परीक्षण द्वारा श्री राजेश कुमार पाण्डेय, ए०डी०पी०ओ० वास्ते अभियोजनः–

०१– मैं आरोपी नारायण निषाद को नही जानता पहचानता हूँ। मृतक खिलेश्वरी एवं आहत गीतांजली मेरी भतीजी तथा योगिता रात्रे उसकी सहेली होने से जानता पहचानता हूँ।

०२– घटना ०२ वर्ष पूर्व की शाम के ०७ से ०७.३० बजे की है। मैं तिल्दा नेवरा के झंडा चौक के पास बैठा था, तभी मोहल्ले के लड़के आए और मुझे बताए की मेरी भतीजी का एक्सीडेंट हो गया है। सूचना मिलने के बाद मैं तुरंत तिल्दा हॉस्पिटल आया था, जहां पर मेरे परिवार के सदस्य उपस्थित थे। वही पर गीतांजली, योगिता घायल अवस्था में देखा था, गीतांजली को सिर व सीने में चोट लगी थी तथा खलेश्वरी को भी चोट आई थी, उसके बाद डॉक्टरो ने उसे मृत घोषित कर दिया था। मुझे घटना के संबंध में रूपसिंह एवं लता डहरिया ने बताया था कि घटना दिनांक को गीतांजली अपनी सायकल में, खिलेश्वरी एवं योगिता के साथ सब्जी लेने के लिए मार्केट गए थे। भैरमगढ़ धाम के तरफ से वापस तीनो सायकल में बैठकर वापस घर आ रहे थे, जैसे ही अंबेडकर चौक तिल्दा में पहुंचे थे तभी सामने सौरभ पेट्रोल पंप की तरफ से आ रहे ट्रक के चालक के द्वारा वाहन को तेजगति से चलाकर ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया था, जिससे तीनो को चोट आई थी। मुझे ट्रक के नंबर की जानकारी नही है। घटना किसकी लापरवाही से हुआ था मुझे इसकी जानकारी नही है। बाद में मुझे पता चला कि ट्रक का चालक काफी शराब पिया हुआ था, इसलिए उसकी गलती से एक्सीडेंट हुआ था। मुझे इसके अतिरिक्त अन्य कोई जानकारी नही है। आज मुझे याद नही है कि पुलिस वाले मेरे समक्ष कार्यवाही किये थे कि नही, नुकसानी पंचनामा **प्र०पी०–१९** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

नोटः– इसी स्तर पर अभियोजन अधिकारी ने सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति चाही। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर अभियोजन के दस्तावेजो में तथा साक्षी के न्यायालयीन कथन में विसंगतियाँ पाई गई। अतः साक्ष्य अधिनियम की धारा १५४ के तहत अभियोजन को अनुमति प्रदान की गई।

०३– यह कहना सही है कि दुर्घटना में ट्रक के द्वारा सायकल को ठोकर मारकर एक्सीडेंट करने से सायकल क्षतिग्रस्त हो गई थी। यह कहना सही है कि सायकल के क्षतिग्रस्त होने के संबंध में नुकसानी पंचनामा पुलिस वाले मेरे समक्ष बनाए थे। यह कहना सही है कि उक्त दुर्घटना कारित ट्रक का नंबर सी०जी० ०४/जे/६३८३ है, जिसे मैने पुलिस को बताया था।

–:प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री राम वाधवा, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तः–

०४– यह कहना सही है कि एक्सीडेंट मेरे समक्ष नही हुआ था। मैं घटना के समय तिरंगा चौक के पास बैठा था।

समयः– १२:४० बजे

वाचित/स्वीकृत। **मेरे निर्देश पर टंकित किया गया**

सही/– गवाह के हस्ताक्षर एवं अंगूठा। सही/–

(**भावेश कुमार वट्टी**) (**भावेश कुमार वट्टी**)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

तिल्दा, जिला रायपुर (छ०ग०) तिल्दा, जिला रायपुर (छ०ग०)